

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां ( राजस्थान )

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या- 35/2022

**बउनवान**

श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीराज, जाति मीणा, निवासी मेलखेडी, तहसील बारां, जिला बारां (राज०)  
( प्रार्थी )

**बनाम**

1. मुकेश पुत्र रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी अस्पताल रोड, बारां
2. राजू उर्फ राजेन्द्र पुत्र गोविन्दप्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी चौमुखा बाजार श्रीजी चौक बारां जिला बारां
3. चन्द्रकलां पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि मुकेश, जाति मीणा, निवासी पचेलखुर्द हाल अस्पताल रोड, बारां (अप्रार्थीगण )



प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

- उपस्थिति :-1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक  
2. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक

(प्रार्थी )  
( अप्रार्थीगण )

आदेश दिनांक- 20.01.2023

1- प्रार्थी की ओर से जयें अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद संख्या 85/2012 बउनवान श्रवणलाल बनाम मुकेश वगैरह न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय से प्रार्थी को प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण की उम्मीद नहीं है। विचारण न्यायालय प्रकरण में 8-8 दिन की तारीख पेशियां नियत कर रहे हैं। प्रार्थी को विचारण न्यायालय से प्रकरण को खारिज करने की उम्मीद है। अप्रार्थीया राजनैतिक महिला है तथा पीठासीन अधिकारी से मिली हुई है, जिससे प्रार्थी को प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण की कतई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण वाद संख्या 85/2012 बउनवान श्रवणलाल बनाम मुकेश वगैरह को न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां से बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बारां को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी।

अप्रार्थीगण जयें अभिभाषक उपस्थित हुये तथा न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रकरण दिनांक 14.10.2019 से साक्ष्य वादी में चल रहा है, परन्तु वादी अधिवक्ता बीच-बीच में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। चूंकि वादी का अधिवक्ता



जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

प्रकरण में साक्ष्य नहीं करा कर प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। फिर भी प्रार्थी उक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहता है जिसमें इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण में 8-8 दिन की तारीख पेशियां नियत की जा रही है। अप्रार्थीया राजनैतिक महिला है तथा पीठासीन अधिकारी से मिली हुई है, जिससे प्रार्थी के प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण की कतई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण वाद संख्या 85/2012 बउनवान श्रवणलाल बनाम मुकेश वगैरह को न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां से बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने ऐसे किसी उचित कारण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है। प्रकरण वर्ष 2019 से साक्ष्य वादी में चल रहा है। प्रकरण को अनावश्यक विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थी अधिवक्ता विचारण न्यायालय में वादी की साक्ष्य नहीं करा कर सीपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत अनावश्यक प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं तथा इसी गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया जिससे साबित हो कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के प्रभाव में हों। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)